

## परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंडी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हेठो सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हेठो कुल भूमि 1.180 हेठो सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बड़ोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
अमृतन



कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर



सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर



अधिकारी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

## परियोजना का नामः—

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी—हरिशंकर—चौंडी— रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हेतु सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हेतु कुल भूमि 1.180 हेतु सिविल वन भूमि का लोनिवि को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## एनोपीोवीो की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007—एफोसी० दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपीोवीो की देयता नियमानुसार है।

- 1— इको—क्लास श्रेणी..... ✓
- 2— हरियाली का घनत्व..... 0-4.
- 3— एनोपीोवीो की दर प्रति हेतु 8,45,000/-
- 4— आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.180 Ha.
- 5— कुल देय एनोपीोवीो की धनराशि 9,97,100/-

  
हो/-

प्रभागीय वनाधिकारी